



2026:AHC:57844

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रकरण संख्या - 3183 वर्ष 2026

ओमप्रकाश राय

.....याचिकाकर्ता

बनाम

जनार्दन राय एवं एक अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अर्चित मंध्यान, ऋषभ कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय क्रमांक - 53

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. वाद सूची को द्वितीय बार पुकारा गया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अर्चित मंध्यान तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-। श्री अजय सिंह को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को आज दिन के दौरान वर्तमान याचिका में राज्य को आवश्यक पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।

4. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है:-

"अतः सादर प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय कृपया:

- i. दिनांक 16.04.2025 को विद्वान विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करते हुए आदेश या निर्देश जारी करें।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ii. कोई अन्य आदेश या निर्देश जो माननीय न्यायालय तथ्यों एवं परिस्थितियों में उचित समझे।

iii. इस याचिका की लागत याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदान करें।"

5. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 48 वर्ष 2025, जनार्दन राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में दिनांक 16.4.2025 को विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, परंतु याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को मामले को पुनः नए सिरे से विधि के अनुसार तथा पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय एवं आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना निर्णीत करने का निर्देश दिया जाए तो रिट याचिका का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि प्रकरण आक्षेपित निर्णय द्वारा पुनः प्रेषित किया जा चुका है।

6. विद्वान राज्य अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। वर्तमान रिट याचिका में की गई चुनौती को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, अतः उसे 'अनाग्रहित' घोषित करते हुए खारिज किया जाता है।

8. रिट याचिका में की गई प्रार्थना अस्पष्ट है क्योंकि उसमें आक्षेपित आदेश का विवरण जैसे प्रकरण क्रमांक आदि भी उल्लिखित नहीं है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इसके लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा कि यह भूलवश हुआ है। यह भूल नहीं हो सकती और यह याचिका के प्रारूपण में स्पष्ट लापरवाही को दर्शाता है। अतः याचिकाकर्ता पर रुपये 2,000/- का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है जो संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जमा किया जाएगा, जिसे संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपयोग हेतु अंतरित किया जा सकेगा। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को गुण-दोष के आधार पर दिए जाने वाले निर्देश सहित यह आदेश तभी प्रभावी होगा जब उक्त अर्थदंड जमा किया जाए। यह अर्थदंड आज से 10 दिन

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के भीतर जमा किया जाए तथा संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट जिनके पास पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः प्रेषित किया गया है, को निर्देश दिया जाता है कि वे पुनरीक्षण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, किसी भी पक्ष को स्थगन दिए बिना, यथाशीघ्र मामले को नए सिरे से निर्णीत करें।

10. याचिका निस्तारित की जाती है।

11. यदि कोई लंबित आवेदन है तो वह भी निस्तारित समझा जाए।

20 मार्च, 2026

नरेश

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।